

प्रेस नोट/सराहनीय कार्य-
(पत्रांक-251/2025 दिनांक 08.09.2025)
***दिनांक-08.09.2025 को जनपद कुशीनगर पुलिस**
द्वारा किया गया सराहनीय कार्य-*

हिन्दु नाबालिक किशोर को प्रलोभन देकर धर्मपरिवर्तन कराने वाले अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार-

दिनांक 07.09.2025 को वादिनी राबड़ी देवी, पत्नी श्री महेंद्र कुशवाहा, निवासी मंशा छापर, थाना हनुमानगंज, जनपद कुशीनगर द्वारा थाना खड्डा पर सूचना दिया गया कि कोहरगड्डी मदरसा के प्रधानाचार्य मुजीबुर्रहमान ने उनकी आर्थिक स्थिति का लाभ उठाकर उनके पुत्र का धर्म परिवर्तन कराकर उसका नाम नूर आलम रखकर मदरसे में रख लिया है तथा पुत्र को वापस मांगने पर मुजीबुर्रहमान ने धक्का-मुक्की, गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी दी गई है। प्रकरण में थाना खड्डा पर मु0अ0सं0 0274/2025, धारा 115(2), 352, 351(3) BNS व धारा 3/5(1) उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम, 2021 के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया है। पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए अभियुक्त मुजीबुर्रहमान को गिरफ्तार किया गया है।

पूछताछ विवरण

पूछताछ में अभियुक्त ने बताया कि उसने वादिनी के आर्थिक तंगी का फायदा उठाकर मुफ्त भोजन, कपड़े व शिक्षा का प्रलोभन देकर उसके पुत्र का धर्मपरिवर्तन कराया। जिसके बाद उसके पुत्र का नाम नूर आलम रखकर उसे मदरसे में रख लिया।

पंजीकृत अभियोग

मु0अ0सं0 0274/2025, धारा 115(2), 352, 351(3) BNS व धारा 3/5(1) उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम, 2021 थाना खड्डा जनपद कुशीनगर

गिरफ्तार अभियोग

मुजीबुर्रहमान पुत्र मुहम्मद हुसैन निवासी पकड़ी दीक्षित थाना भितौली बाजार जनपद महाराजगंज, हा0मु0 कोहरगड्डी मदरसा(प्रधानाचार्य) थाना खड्डा जनपद कुशीनगर



गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम

- 1-प्रभारी निरीक्षक गिरीजेश उपाध्याय थाना खड्डा जनपद कुशीनगर
- 2- उ0नि0 शर्मा सिंह यादव थाना खड्डा जनपद कुशीनगर
- 3-उ0नि0 शंशाक राय थाना खड्डा जनपद कुशीनगर
- 4-का0 विश्वजीत यादव थाना खड्डा जनपद कुशीनगर

थाना कसया पुलिस द्वारा अपहरण, दुष्कर्म इत्यादि के अलग-अलग मामलों में 02 नफर वांछित अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार-

जनपद कुशीनगर में वांछित/ वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 08-09-2025 को कसया पुलिस टीम द्वारा मु0अ0सं0 0575/2025 धारा 87, 64, 352, 351(3), 318(4) बीएनएस व 3/4 पाक्सो एक्ट व 3/5(1) उ0प्र0 विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन एक्ट से संबन्धित वांछित अभियुक्त मेराज अली पुत्र शहीद अंसारी निवासी ग्राम बैजनाथपुर बाबू टोला थाना कसया जनपद कुशीनगर व मु0अ0सं0 301/2025 धारा 137(2), 87, 64 बीएनएस व 3/4 पाक्सो एक्ट से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त 1. सत्या पुत्र मूरत प्रसाद निवासी काशीराम आवास थाना कसया जिला कुशीनगर को गिरफ्तार कर अग्रिम आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

पंजीकृत अभियोग-

- 1-मु0अ0सं0 0575/2025 धारा 87, 64, 352, 351(3), 318(4) बीएनएस व 3/4 पाक्सो एक्ट व 3/5(1) उ0प्र0 विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन एक्ट
- 2-मु0अ0सं0 301/2025 धारा 137(2), 87, 64 बीएनएस व 3/4 पाक्सो एक्ट

गिरफ्तार अभियुक्तगण-

- 1-मेराज अली पुत्र शहीद अंसारी निवासी ग्राम बैजनाथपुर बाबू टोला थाना कसया जनपद कुशीनगर
- 2-सत्या पुत्र मूरत प्रसाद निवासी काशीराम आवास थाना कसया जिला कुशीनगर

गिरफ्तार करने वाली टीम:-

- 1-उ0नि0 विवेक कुमार पाण्डेय (चौकी हाईवे) थाना कसया जनपद कुशीनगर
- 2-उ0नि0 लालबहादुर शर्मा थाना कसया जनपद कुशीनगर



- 3-का0 रितेश कुमार थाना कसया जनपद कुशीनगर
- 4-का0 सुमन सौरभ थाना कसया जनपद कुशीनगर
- 5-का0 संजय गुप्ता थाना कसया जनपद कुशीनगर
- 6-का0 उपेन्द्र यादव थाना कसया जनपद कुशीनगर

थाना सेवरही पुलिस द्वारा 01 नफर वारण्टी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार-

जनपद कुशीनगर में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 08.09.2025 को थाना सेवरही पुलिस द्वारा मु0नं0- 460/2025 धारा 498ए, 323, 504, 506 भादवि व ¾ डीपी एक्ट से संबंधित 01 नफर वारण्टी राजेन्द्र पुत्र फुलेना साकिन गौरी जगदीश थाना सेवरही जनपद कुशीनगर को गिरफ्तार कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

पंजीकृत अभियोग-

मु0नं0- 460/2025 धारा 498ए, 323, 504, 506 भादवि व ¾ डीपी एक्ट

गिरफ्तार वारण्टी अभियुक्त-

राजेन्द्र पुत्र फुलेना साकिन गौरी जगदीश थाना सेवरही जनपद कुशीनगर

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम—

- 1-थानाध्यक्ष श्री धीरेन्द्र राय थाना सेवरही जनपद कुशीनगर
- 2-उ0नि0 पंकज यादव थाना सेवरही जनपद कुशीनगर
- 3-का0 रंजीत चौहान थाना सेवरही जनपद कुशीनगर

हिन्दू नबालिग युवती को भगाकर दुष्कर्म करने व प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन कराने वाले अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार-

दिनांक 07.09.2025 को पीडिता के भाई द्वारा सूचना दिया गया कि उनकी बहन उम्र लगभग 16 वर्ष को अभियुक्त नसरे आलम पुत्र हसबुल्लाह खान साकिन खेसिया मंशा छापर थाना जटहा बाजार जनपद कुशीनगर के द्वारा प्रेम जाल में फसाकर घर से भगाकर प्रलोभन देकर धोखे से धर्मपरिवर्तन करा दिया है। इस सम्बन्ध में थाना नेबुआ नौरंगिया पर मु0अ0सं0-324/2025 में अभियोग पंजीकृत किया गया तथा घटना के अनावरण हेतु पुलिस टीमों का गठन कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये थे, जिसके क्रम में आज 08.09.2025 को थाना नेबुआ नौरंगिया



पुलिस द्वारा घटना से सम्बन्धित अभियुक्त नसरे आलम पुत्र हसबुल्लाह खान उपरोक्त को गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पंजीकृत अभियोग-

324/2025 धारा 137(2) बीएनएस व बढ़ोत्तरी धारा 87/64/340(2)/336(3) बीएनएस व 3/4 पाक्सो एक्ट व 3/5(1) उ0प्र0 विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम 2021 थाना नेबुआ नौरंगिया जनपद कुशीनगर

गिरफ्तार अभियुक्त-

नसरे आलम पुत्र हसबुल्लाह खान साकिन खेसिया मंशा छापर थाना जटहा बाजार जनपद कुशीनगर

विवरण बरामदगी-

- 1-एक अदद मोबाईल फोन इन्फिनिक्स ब्लैक कलर ।
- 2- पीडिता का एक अदद आधार कार्ड नाम नफीसा खातून पत्नी नसरे आलम

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-SO दीपक कुमार सिंह थाना ने0नौ0 जनपद कुशीनगर
- 2-उ0नि0 विश्वजीत कुमार थाना ने0नौ0 जनपद कुशीनगर
- 3-उ0नि0 विकाश मौर्या थाना ने0नौ0 जनपद कुशीनगर
- 4-का0 संदीप यादव थाना ने0नौ0 जनपद कुशीनगर
- 5-का0 सत्येन्द्र चौहान थाना ने0नौ0 जनपद कुशीनगर

थाना विशुनपुरा पुलिस द्वारा चोरी के मुकदमे में वांछित एक अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार-

जनपद कुशीनगर में अपराध व अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 08.09.2025 को थाना विशुनपुरा पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 249/2025 धारा 331(4)/305/317(2) बीएनएस में वांछित अभियुक्त रामध्यान पुत्र पूरन निवासी बरवा बभनौली थाना विशुनपुरा जनपद कुशीनगर को गिरफ्तार कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पंजीकृत अभियोग:-

मु0अ0सं0 249/2025 धारा 331(4)/305/317(2) बीएनएस थाना विशुनपुरा जनपद कुशीनगर



गिरफ्तार वांछित अभियुक्त-

रामध्यान पुत्र पूरन निवासी बरवा बभनौली थाना विशुनपुरा जनपद कुशीनगर

गिरफ्तार करने वाली टीम:-

1. प्र०नि० अनिल सिंह यादव थाना विशुनपुरा जनपद कुशीनगर
2. उ०नि० दिग्विजय सिंह थाना विशुनपुरा जनपद कुशीनगर
3. हे०का० बैष्णो प्रताप सिंह थाना विशुनपुरा जनपद कुशीनगर
4. हे०का० अभिषेक कुमार सिंह थाना विशुनपुरा जनपद कुशीनगर
5. का० अनूप कुमार थाना विशुनपुरा जनपद कुशीनगर

शान्ति भंग में की गयी निरोधात्मक कार्यवाही-

जनपद कुशीनगर के विभिन्न थानों की पुलिस द्वारा 28 नफर अभियुक्तों को शान्ति भंग में गिरफ्तार कर धारा 170 बीएनएसएस के अन्तर्गत आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की गयी।

कार्यवाही एक नजर में=

- 1- मोटर वाहन अधिनियम में की गयी कार्यवाही-सीज-00, ई-चालान-27 वाहन
- 2- 126/135 बीएनएसएस में की गयी कार्यवाही-मु०-38, व्यक्ति-109
- 3- वांछित/वारंटी/अन्य अपराधों में अभियुक्तों की गिरफ्तारी-(06)
- 4- जनपद में कुल गिरफ्तारी-(कुल-34)

सोशल मीडिया सेल

जनपद कुशीनगर

